29/5/18

पत्रावली आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पक्षकारगण द्वारा मामले के तथ्य एवं प्रकरण की भूमिका सही रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण उपरान्त मामला, प्रतिवाद का सन्तुलन तथा अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी के पक्ष में लेने के कारण दिनांक 13-04-2016 को भारी अनियमित अस्थायी निषेधाज्ञा को एक पक्ष तक बरकरार (स्थायी) किया जाता है। प्रतिवादी के पक्ष प्रकार गिरा दायित्व दफा है।

सहायक कलक्टर